

24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 14-6-24 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

14/6/24

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्वामि जार रखने से पत्रावली दिनांक 25/6 को पेश हो ।

25/6/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणीगण उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर रजिस्ट्री प्राप्त हुई जिसे शां पठ किये गये, विपक्षीगण को किन्ही बार रुक-रुक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्राणीगण का प्राप्तास्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शां पठ किया गया। पत्रावली फँसल सुमार होकर नम्बर से सम्भले।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



